न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/75/2025 रजू दिनांकः 03.06.2025 रजि0 न0 2025/155

अपीलार्थीः–

श्री दयानन्द शर्मा, निवासी 5 क 28, शिवाजी पार्क, अलवर जिला अलवर–301001 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 01.07.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 11.04.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 02.06.2025 पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहते है तो दिनांक 17.06.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/978 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन सं0 293942976945177 दिनांक 11.04.2025 के अनुक्रम में किए गए विनिश्चय, पत्र सं0 9641192606 दिनांक 19.05.2025 पर आक्षेप व्यक्त किया है। उक्त के संबंध में अपीलार्थी के सूचना आवेदन सं 293942976945177 दिनांक 11.04.2025 के अनुक्रम में कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर Rajasthan CAA Rules, 1958 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक मे RTI Online Portal पत्र संख्या 9641192606 दिनांक 19.05.2025 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर संसूचित किया जा चुका है, जो कि अपीलार्थी को तामिल भी हो चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में ऑनलाईन पत्र सं. 9641192606 दिनांक 19.05.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर आवेदक को सूचित किया जा चुका है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/979 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)